



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 54वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:-

1. डा0 के0के0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक	सदस्य
3. श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक	सदस्य
4. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
5. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
7. डा0 अशोक कुमार यादव, उप-कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
8. डा0 ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. डा0 महेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ। (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक तथा अन्य सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद में नवनियुक्त सदस्य श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक, मेरठ के मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रथम बार प्रतिभाग करने के दृष्टिगत बुके भेंटकर उनका स्वागत स्वागत किया गया। स्वागतपरान्त मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियंत्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 54.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 54.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:-

1. विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या-53.3 पर कॉलेज ऑफ शुगरकेन की वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि क्रय प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी द्वारा नियन्त्रण रखा जाये। जिसपर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन से निर्गत की जाने वाली धनराशि कोषागार, मेरठ में ही रक्षित रहती है एवं वास्तविक देयकों के आधार पर ही कोषागार, मेरठ द्वारा सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी को भुगतान किया जाता है।

(कार्यवाही: ओ0एस0डी0-कॉलेज ऑफ शुगरकेन/वित्त नियन्त्रक)

2. विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 के अन्य-(2)- के संदर्भ में श्री मनोहर सिंह तोमर प्रगतिशील कृषक द्वारा चाही गयी सूचना के संदर्भ

--2--

डा० के.के. सिंह  
कुलपति

स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि. मेरठ



लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों हेतु समिति का गठन करते हुए कार्यवाही की जा रही है

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/निदेशक प्रसार)

3. विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 के अन्य-(4) के विषय में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से पत्राचार करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 54.3-

विद्वत परिषद की 88वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 88वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 54.4-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वादों का पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष रखने हेतु श्री अजय सिंह, अधिवक्ता को नामित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण द्वारा कार्यालय आदेश संख्या सवप/2023/नि0प्र0अनु0/733 दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के पैनल में चल रहे अधिवक्ताओं के साथ-साथ श्री अजय सिंह को भी माननीय प्रबन्ध परिषद



लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110



--3--

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ



के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पैनल में नामित किया गया है। जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक, श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक एवं श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि मा0 न्यायालयों में नामित किये गये अधिवक्ताओं पर निरन्तर नियन्त्रण रखा जाये तथा विगत 05 वर्षों के अन्तर्गत विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा देखे गये भिन्न-भिन्न प्रकरणों की जानकारी एकत्रित की जाये, कि इनके द्वारा मा0 न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही का स्तर क्या रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को भी आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही: अध्यक्ष विधिक समिति / कुलसचिव / निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 54.5-

डा0 अमित कुमार, सह प्राध्यापक (इम्युनोलॉजी) जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

डा0 अमित कुमार सह प्राध्यापक (इम्युनोलॉजी) जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय द्वारा पूर्व में पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में दिनांक 28.04.2001 से 30.07.2009 तक एवं दिनांक 01.08.2009 से 26.07.2018 तक सहायक अचार्य, उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा (उ0 प्र0) के पद पर दी गयी सेवाओं को जोड़ने एवं सेवाओं की गणना

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

पेंशन हेतु करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या CM-64/12-8-9B-400 (144)/95 दिनांक 16 सितम्बर, 1998 (संलग्नक-1) द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय में आने से पूर्व अन्यत्र की गयी सेवाओं की गणना पेंशन हेतु अगणित किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में निम्न व्यवस्था दी गयी है-

बिन्दु संख्या -1 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद विधिवत सृजित हो तथा उस पर नियुक्ति भी विधिवत एवं नियमित रूप से की गयी हों।


बिन्दु संख्या -2 जिन संस्थाओं की पूर्व में की गयी सेवाएं पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो वह सेवा पेंशनेबुल हो तथा पेंशन देने का दायित्व राज्य सरकार का हो अर्थात् जिन विभागों में पेंशन देने का दायित्व राज्य सरकार का है वहां पेंशनरी अंशदान जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय के पत्र संख्या सवप/2023/नि0प्र0अनु0/11854 दिनांक 27.02.2023 द्वारा मुख्य कार्मिक अधिकारी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा को प्रेषित किया गया था। जिसपर मुख्य कार्मिक अधिकारी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा के पत्र संख्या पत्र संख्या 11185/सीपीओ./ दिनांक 20.03.2023 द्वारा डा0 अमित कुमार की सेवाओं का सत्यापन करते हुये डा0 अमित कुमार की सेवापुस्तिका सहित उपलब्ध करा दी गयी है, जिसमें शासन के शासनादेश संख्या 17/



लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110



डा० के.के. सिंह

कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

2019/ सा -3-346/दस—2019-933/89 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के साथ संलग्न सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए सेवाओं को जोड़े जाने का प्रारूप पत्र में दिनांक 01.08.2009 से 26.07.2018 तक की सेवाएँ सत्यापित कर प्रेषित की गयी है। इसी प्रकार दिनांक 28.01.2001 से 31.07.2009 तक पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की सेवाओं को जोड़ने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सी०एम० - 64/12- 08 98-400 (144)/95 दिनांक 16.09.1998 के क्रम में मुख्य कार्मिक अधिकारी, उ० प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा के पत्र संख्या 567/(ई) आई-4 /08 (586) दिनांक 29.03.2012 द्वारा सेवा को जोड़ते हुये सेवानिवृत्तिक लाभ (पेंशन आदि) के आगणन हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है।

अतः डा० अमित कुमार, सह प्राध्यापक (इम्युनोलॉजी) जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की दिनांक 28.01.2001 से 31.07.2009 तक पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश एवं दिनांक 01.08.2009 से 26.07..2018 तक उ०प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान (दुबासु) मथुरा में की गयी सेवा अवधि को पेंशन आगणन हेतु अर्ह सेवा के निमित्त आगणित किये जाने पर विश्वविद्यालय की मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

--6--

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110



डा0 विवाक मलिक के स्थान पर विवेक मलिक किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 के प्रस्ताव संख्या- 53.9 के अनुपालन उपरांत कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जारी किये गये विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या सवप/2023/नि0प्र0अनु0/624 दिनांक 08.08.2023 में विभिन्न शिक्षकों को प्राध्यापक पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्य किया गया था। उक्त कार्यालय आदेश के क्रम संख्य- 35 पर डा0 विवाक मलिक अंकित है। जिसके क्रम में डा0 विवेक मलिक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि उनका हिन्दी में नाम विवेक मलिक है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 के प्रस्ताव संख्या- 53.9 पर नाम अंग्रेजी में दिये गये थे। डा0 विवेक मलिक का अंग्रेजी में नाम Dr. Vivak Malik है जिस कारण उनका हिन्दी में डा0 विवाक मलिक अंकित किया गया था। डा0 मलिक द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर एवं भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर द्वारा निर्गत उपाधि में अंग्रेजी में Dr. Vivak Malik एवं हिन्दी में विवेक मलिक अंकित है।

अतः विश्वविद्यालय की माननीय प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या सवप/2023/नि0 प्र0 अनु0/624 दिनांक 08.08.2023 के क्रम संख्या-35 पर डा0 विवाक मलिक के स्थान पर विवेक मलिक किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित कार्यालय आदेश निर्गत हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

--7--

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ. वि. वि. मेरठ

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

प्रस्ताव संख्या: 54.7-

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम तीन प्रार्थना पत्र बाह्य संस्थानों को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया गया। जिसपर उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम तीन प्रार्थना पत्र बाह्य संस्थानों को प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 54.8-

डा० आदेश सिंह सहायक प्राध्यापक को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नत पदनाम सह प्राध्यापक की देय तिथि 15.05.2021 के स्थान पर 15.05.2019 किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय की माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या 53.9 में विश्वविद्यालय के विभिन्न माविद्यालयों (कृषि महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय एवं पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय) के विभिन्न शिक्षकों/वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ अनुमन्य किये जाने के उपरान्त CAS के लिफाफे खोले गये। जिसकी तालिका-1 के क्रम संख्या-33 पर अंकित डा० आदेश सिंह, सहायक

--8--

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.द.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक, मेरठ



प्राध्यापक (सस्य) को दिनांक 15.05.2021 से सह प्राध्यापक (सस्य) पदनाम व रू0 37400-67000 स्टेज-4 (ए0जी0पी-9000/-) एकेडमिक लेवल 13-ए अनुमन्य करने के सम्बन्ध में अनुमोदन किया गया था। जबकि डा0 आदेश सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह अनुरोध किया है कि कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के नियमों के अनुसार उन्हें दिनांक 15.05.2019 से सह प्राध्यापक (सस्य) पदनाम व रू0 37400-67000 स्टेज-4 (ए0जी0पी-9000/-) एकेडमिक लेवल 13-ए अनुमन्य किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि डा0 आदेश सिंह को पूर्व में प्राप्त CAS के लाभ को वापस लेते हुए पुनः साक्षात्कार लिया जाये, जिसमें डा0 आदेश सिंह को दिनांक 15.05.2019 से सह प्राध्यापक (सस्य) का पदनाम व रू0 37400-67000 स्टेज-4 (ए0जी0पी-9000/-) एकेडमिक लेवल 13-ए अनुमन्य देने के विषय में निर्णय लिया जायेगा, जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।


(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 54.9-

शोध निदेशालय व प्रसार निदेशालय में मूल रूप में सामान्य मद में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों को कैरियर एडवान्समेंट कीम के अन्तर्गत पदनाम व वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय व प्रसार निदेशालय तथा शोध केन्द्रों हेतु मूलरूप में सामान्य मद में शासन द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष कुल 11 वैज्ञानिकों, एस0एम0एस0 /सहायक निदेशक व सह निदेशक के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या 53.9 में यह निर्देश दिये गये थे कि शोध निदेशालय व प्रसार निदेशालय में सामान्य मद में


-9-



लक्ष्मी मिश्रा

वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110



डा० के.के. सिंह

कुलपति

स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

शासन द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कुल ग्यारह वैज्ञानिकों, एस0एम0एस0/सहायक निदेशक व सह निदेशक के कैरियर एडवान्समेंट के लिफाफे उत्तर प्रदेश शासन से माँगे गये मार्ग दर्शन के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि शोध निदेशालय व प्रसार निदेशालय में मूल रूप में सामान्य मद में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत पदनाम व वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 242654/67-कृषिअ -23-1099/44/2023 दिनांक 16.06.2023 द्वारा माँगी गयी सूचना विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या सवप/वीसी/5677/2023 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 2507666/67-कृषिअ-23-1099/44/2023 दिनांक 21.09.2023 पैरा 3 में निम्न निर्देश दिये गये हैं-


“कृपया कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 08.08.2023 में उल्लेखित 11 कार्मिकों को उनकी सेवा के संगत शैक्षणिक लाभ (वेतनमान/पदनाम यथा समायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक) इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती कि उक्त कार्मिकों की मूल नियुक्ति शैक्षणिक पदों पर, नियमों के अधीन तथा नियमित स्वीकृत पदों के सापेक्ष हुई हो। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त कर्मिकों की नियुक्ति/सेवा विषयक समस्त तथ्यों की पुष्टि कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।”

माननीय प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2023 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या 53.9 में लिये

--10--

  
लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

  
डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

गये निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2507666/67-कृशिअ-23-1099/44/2023 दिनांक 21.09.2023 को माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 21.10.2023 में प्रस्तुत किया गया। उक्त पदों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर श्रेणी में होने के सम्बन्ध में जो भी शिकायत अथवा सुझाव प्राप्त हुये थे उनकी जाँच हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट से मा० प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उपरोक्त 11 कार्मिकों के पदोन्नति सम्बन्धी लिफाफे खोलने की अनुमति प्रदान की गयी। माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा उपरोक्त विषयक सभी 11 कार्मिकों के पदोन्नति सम्बन्धी लिफाफे खोले गये जिसकी सूची तालिका -1 में निम्नवत् (संलग्न) है:-



लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)




डा० के.के. सिंह  
कलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि. मेरठ



**List of Candidates recommended for promotions under CAS by selection committee and approved by 54<sup>th</sup> Meeting of Board of Management held on 21.10.2023**

SN	Name	Present Designation	Department/ Subject	Present Pay Scale & Grade Pay	Promotion under CAS on the designation/Pay Scale or Grade Pay		
					Designation	Grade Pay	Date of Award of Designation/pay Scale or Grade Pay
1	Dr. Rajeshwar Dayal*	Assistant Director/ Assistant Professor (LRC)	Animal Husbandry	Rs. 15600-39100 Stage 2 (AGP 7000) at academic level 11	Assistant Director/ Assistant Professor (AH-LRC)	Rs. 15600-39100 Stage 3 (AGP 8000) at academic level 12	17.10.2018
*Selection committee recommended the AGP Rs. 8000/- at academic level 12 from the date 17.10.2018 in place of proposed date for promotion i.e. 16.12.2014 as the training completed on 16.10.2018							
2	Dr. Vipin Kumar	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director/Professor (Horticulture)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	28.03.2020
3	Dr. Arvind Kumar	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director/ Professor (Horticulture)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	22.03.2021
4	Dr. Archana Arya	Assistant Director/ Assistant Professor (Fisheries)	Fisheries	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director / Professor (Fisheries)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	09.12.2018
5	Dr. Praveen Kumar Singh	Associate Director /Associate Professor	Agronomy	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director / Professor (Agronomy)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	30.03.2020
6	Dr. Krishna Gopal Yadav	Associate Director /Associate Professor	Agronomy	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director / Professor (Agronomy)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	13.04.2020
7	Dr. Hariom Katiyar	SMS/Assistant Professor	Horticulture	Rs. 15600-39100 Stage 3 (AGP 8000) at academic level 12	Associate Director /Associate Professor (Horticulture)	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	29.04.2021
8	Dr. Mukesh Kumar	Associate Director /Associate Professor	Genetics & Plant Breeding	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director/ Professor (Genetics & Plant Breeding)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14	24.03.2020

  
 लक्ष्मी नि  
 वित्त निय  
 सो व० प० कृषि  
 विश्वविद्यालय,  
 डा० के.के. सि  
 कुलपति  
 स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.



**The selection committee Not recommended / Not approved the promotion of below mentioned Associate Director/ Associate Professors on the post of Jt. Director/Professor under CAS from the due date mentioned against their name**

SN	Name	Present Designation	Department/ Subject	Present Pay Scale & Grade Pay	Due date of Promotion as per application and Screening committee	Remark
9	Dr. Ashok Kumar	Associate Director /Associate Professor (CRC)	Soil Science	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	22.03.2021	Selection committee not recommended for promotion on the due date
10	Dr. Sanjay Kumar Tripathi	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	29.03.2021	
11	Dr. Sarvesh Kumar Lodhi	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	24.03.2020	

तालिका-2

कैरियर एडवार्समेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शोध एवं प्रसार निदेशालय में कार्यरत (तालिका-01 में वर्णित) वैज्ञानिकों/ शिक्षकों में से 03 वैज्ञानिकों/ शिक्षकों को चयन समिति द्वारा Not recommended for promotion किया गया। उन्हें चयन समिति द्वारा यू.जी.सी. गार्ड्ड लाईन्स के अनुसार Post Assessment period में उनके द्वारा किये गये शिक्षण, शोध, प्रसार एवं प्रशासनिक कार्यों को सम्मिलित करते हुये पुनः मूल्यांकन एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की प्रस्तावित तिथि के एक वर्ष उपरान्त पदोन्नति अनुमन्य किये जाने की संसुति की गयी। जिसका विवरण निम्नवत् है -

S N	Name	Present Designation	Department/ Subject	Present Pay Scale & Grade Pay	Promotion under CAS on the designation/Pay Scale and Grade Pay	
					Designation	Grade Pay
1	Dr. Sanjay Kumar Tripathi	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director /Professor (Horticulture)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14
2	Dr. Sarvesh Kumar Lodhi	Associate Director /Associate Professor	Horticulture	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director / Professor (Horticulture)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14
3	Dr. Ashok Kumar	Associate Director /Associate Professor (CRC)	Soil Science	Rs. 37400-67000 Stage 4 (AGP 9000) at academic level 13 A	Joint Director / Professor (Soil Science)	Rs. 37400-67000 Stage 5 (AGP 10000) at academic level 14

--13--

श्री लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियंत्रक  
कृषि विभाग  
विश्वविद्यालय, मेरठ

डा० के.के. कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रशासनिक विभाग

प्रस्ताव संख्या: 54.10-

वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 में लिए गये निर्णयों पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा० सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किये गये।

1. विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के विन्दु संख्या-18.3 के संदर्भ में मा० कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयुक्त मात्रा में फण्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभिक स्तर पर रू० 50.00 लाख से एक फण्ड तैयार करते हुए विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की नवीन शोध परियोजनायें संचालित करने के प्रयास किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में उपनिदेशक कृषि (कृषि रक्षा), मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त शोध कार्य हेतु रू० 50.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान विश्वविद्यालय के शिक्षण खाते से किया गया है। शिक्षण मद से धनराशि आवंटित करने के कारणवश विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा/अन्य व्यवस्थाओं हेतु किसी भी प्रकार के फण्ड की कमी न हो पाये।

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

(कार्यवाही: निदेशक शोध/वित्त नियन्त्रक)

-14-

डा० के.के. सिंह

कुलपति

स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक, मेरठ




2. विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के बिन्दु संख्या-18.4 पर इंगित वाहन क्रय करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। जिसपर श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक, श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक एवं श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा सुझाव दिया गया कि जेम के माध्यम की जाने वाली क्रय प्रक्रिया पर पारदर्शिता से कार्य किया जाये।


(कार्यवाही: प्रभारी अधिकारी, पूल (वाहन)/नोडल अधिकारी, जेम/वित्त नियन्त्रक)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:-

1. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि लखनऊ में कृषि कुंभ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा प्राथमिकता पर प्रतिभाग किया जाना चाहिए, जिसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ-साथ मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना उपयुक्त होगा। साथ ही मा0 विधायक द्वारा यह भी कहा गया कि विश्व के कई विकासशील देश कृषि के क्षेत्र में भारत से बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मा0 विधायक द्वारा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि इन देशों के शिक्षण संस्थानों से विश्वविद्यालय को कृषि से सम्बन्धित एम0ओ0यू0 भी किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विदेशों में कृषि से सम्बन्धित आयोजित होने वाले सेमिनार इत्यादि में विश्वविद्यालय से प्रतिभाग हेतु बजट की व्यवस्था न

  
लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

--15--

  
डा० के.के. सिंह  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

हो पाने के स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षकों/वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं छात्र/छात्राओं को प्रतिभाग कराने हेतु काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया कि विदेशों में सेमिनार इत्यादि में शिक्षकों/वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं छात्र/छात्राओं को प्रतिभाग कराने हेतु बजट की व्यवस्था के लिए उनके द्वारा स्वयं भी प्रयास किये जायेंगे।

(कार्यवाही: निदेशक शोध)

2. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री एवं श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा दिये गये सुझाव पर मा0 सदस्यों को मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु मानदेय के रूप में वर्तमान में प्रदान की जा रही धनराशि रू0 3500/- के स्थान पर मा0 प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक से धनराशि रू0 4500/- किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।



(लक्ष्मी मिश्रा)

वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा

वित्त नियंत्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

अनुमोदित



(डा० के०के० सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

डा० के.के. सिंह

कुलपति

स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक, मेरठ